रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2007/भाद्र 20, 1929
No. 1091] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2007/BHADRA 20, 1929

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2007

का.आ.1517(अ).—जबकि, मुरादपुर ग्राम सेवा परिषद् (इसके बाद इसे उक्त परिषद् कहा जाए), मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (इसके बाद इसे उक्त आयोग कहा जाए) को 10,20,610.82 (दस लाख बीस हजार छः सौ दस रुपये बयासी पैसे मात्र) रुपये की राशि देय है ।

और जबकि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 (इसके बाद इसे उक्त नियम कहा जाए) के नियम 30 के उप-नियम (2) के अधीन यथा उक्त आयोग ने 15 जनवरी, 1990 को उक्त आश्रम को नोटिस जारी करते हुए उक्त नोटिस की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर उक्त आयोग को 10,20,610.82 (दस लाख बीस हजार छः सौ दस रुपये बयासी पैसे मात्र) रुपये की राशि का भुगतान करने का निदेश दिया था । असफल होने पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 [उक्त नियम के उप-नियम (2) के साथ पठित 1956 का 61] की धारा 19ख के अधीन उक्त आयोग भू-राजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूली की कार्रवाई करेगा ।

और जबकि, उक्त परिषद् उक्त आयोग को 10,20,610.82 (दस लाख बीस हजार छः सौ दस रुपये बयासी पैसे मात्र) रुपये की राशि के भुगतान के दायित्व पर विवाद करते हुए उक्त आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अभ्यावेदन किया था और नोटिस में उल्लिखित भुगतान की राशि को चुनौती देते हुए उक्त आयोग के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका सं. 56939/06 दायर की थी ।

और जबकि उक्त मामलों की सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 13 अक्तूबर, 2006 को आदेश परित किया और यह उल्लेख किया कि उक्त आयोग के मामले को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 [उक्त नियम के उप-नियम (2) के साथ पठित 1956 का 61] की धारा 19ख के संदर्भ में उक्त राशि के भुगतान के दायित्व और अस्वीकृति पर निर्णय करने के लिए एक अधिकरण गठित करने हेतु मामले को केन्द्र सरकार को भेजा जाए ।

अब, इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 10 अगस्त, 2007 के सं. का.आ. 1391(अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एक अधिकरण का गठन करती है जिसमें एक व्यक्ति नामतः श्री प्रवीण महतो, अपर आर्थिक सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 होंगे, और उक्त अधिकरण को अधिनियम की धारा 19ख की उप-धारा (1) के आशय से मुरादपुर ग्राम सेवा परिषद् मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा देय राशि का भुगतान उक्त आयोग को करने के मामले में निर्णय करने का विवादास्पद प्रश्न उक्त अधिकरण को सौंपती है ।

उक्त अधिकरण केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र लेकिन अधिक से अधिक सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगा ।

उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[फा. सं. सी-18019/7/2007-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2007

S.O. 1517(E).—Whereas, a sum of Rs. 10,20,610.82 (Rupees ten lakh and twenty thousand six hundred ten and paise eighty two only) is payable by the Muradpur Gram Vikas Parishad, Meerut, Uttar Pradesh to the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as the said Commission);

And whereas, as required under sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules) the said Commission caused notice dated 15th January, 1990 served on the said Parishad directing them to pay the said sum of rupees ten lakh and twenty thousand six hundred ten and paise eighty two only to the said Commission within thirty days from the receipt of the said notice failing which the said Commission will proceed to recover the same as arrears of land revenue under section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the said rules;

And whereas, the said Parishad has disputed its liability to pay the said sum of Rs. 10,20,610.82 (Rupees ten lakh and twenty thousand six hundred ten and paise eighty two only) to the said Commission, represented to the Chief Executive Officer of the Commission and filed a writ suit bearing number 56939/06 before the Allahabad High Court against the said Commission challenging the liability to pay the amount as demanded under notice;

And whereas, after hearing of the said case, the Allahabad High Court passed the order on the 13th October, 2006, and stated that the case of the said Commission may be referred to the Central Government for constitution of a Tribunal to decide and as to denial liability to pay the said sum in terms of section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 read with sub-rule (2) of rule 30 of the said rules;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission, Rules, 2006, and in supersession of this Ministry's notification published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Official Gazette *vide* number S.O. 1391(E), dated the 10th August, 2007, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri Praveen Mehto, Additional Economic Adviser, Office of Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 and refers the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues by the Muradpur Gram Vikas Parishad, Meerut, Uttar Pradesh to the Khadi and Village Industries Commission within the meaning of sub-section (1) of Section 19B of the said Act.

The said Tribunal shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The headquarter of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F. No. C-18019/7/2007-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.